

experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

8. चाय बागान (टी प्लांटेशन)

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के वर्ग**संशोधित न्यूनतम मजदूरी**

चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण, उखाड़ने, स्प्रे करने, खाद देने, छायावरण (शेड लापिंग) के लिए, निराई, कांट -छांट करने, गुड़ाई करने, तुड़ाई आदि के कार्य में अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात नियोजित।

रुपए

रुपए

400 दैनिक

12000 मासिक

ए-ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला 12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 29 रुपए प्रतिकिलो, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

बी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 22 रुपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है/तोड़ती है तो उसे 17 रुपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को क्रमशः चाय पत्तियों के -'ए', 'बी व 'सी' ग्रेड के लिए 29 रुपए, 22 रुपए और 17 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेंगे।

अर्द्ध-कुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधारोपण में लगाए गए कर्मकारों को 407 रुपए प्रतिदिन, 12210 रुपए प्रतिमास मिलेंगे।

कारखाना :

इसमें लिफ्ट मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला), निस्तेज मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, शिपिंग मजदूर, फर्मेटिंग रूम कर्मकार, रुपए टी ब्याज, सार्टज, टी-मेकर्स, टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं।

रुपए 400 दैनिक और
रुपए 1200 मासिक

प्लांटेशन :

क्लीनर, असिस्टेंट क्लीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर, माली तथा मेट भी शामिल होंगे।

रुपए 400 दैनिक
रुपए 12000 मासिक

क्लैरिकल और नॉन-टैक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ

- लेखाकार रुपए 611 प्रतिदिन रुपए 18330 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास
- लिपिक रुपए 464 प्रतिदिन रुपए 13920 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|----------|------------|
| 3. | मुन्शी | रुपए 487 प्रतिदिन रुपए 14610 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं। | | |
| 4. | चपरासी/ चौकीदार/ चौधरी | रुपए 407 प्रतिदिन रुपए 12210 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधा जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं। | | |
| | | | दैनिक | मासिक |
| 5. | कम्पाउन्डर | | रुपए 567 | रुपए 17010 |
| 6. | ड्राइवर (जीप/कार/ट्रैक्टर) | | रुपए 508 | रुपए 15240 |
| 7. | मकैनिक | | रुपए 571 | रुपए 17130 |
| 8. | असिस्टैन्ट मकैनिक | | रुपए 506 | रुपए 15180 |
| 9. | इलैक्ट्रिशियन-कम-मकैनिक ग्रेड -। | | रुपए 571 | रुपए 17130 |
| 10. | इलैक्ट्रिशियन-कम-मकैनिक ग्रेड -।। | | रुपए 506 | रुपए 15180 |

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/ की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

(i) **अकुशल**.-अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्द्ध-कुशल**: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण

निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
(प्रियंका बासु ईगटी),
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

8. TEA PLANTATION

No. Shram (A) 4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Tea Plantation**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers

Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hoeing, pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation.

Revised Minimum Wages

**Rs. 400 Daily or
Rs. 12,000 Monthly**

A-Grade Leaves.— If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 29 per kilogram extra as incentive.

B-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 22 per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 17 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 29 Rs. 22 Rs. 17 per kilogram for A, B, C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations **Rs. 407** per day, **Rs. 12210** per month.

FACTORY:

Include lift Mazdoor, Withering Mazdoor,
Relling room workers, Shifting Mazdoor,
Fermenting room workers, Tea boys,
Sorters, Tea makers, Time keeper and Carriers (jhalli)

Rs. 400 daily
Rs. 12,000 Monthly

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant,
Muharirs etc. who maintain records of a field work
and also includes sweeper, Mali & Mate.

Rs. 400 daily
Rs. 12,000 Monthly

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

OFFICE STAFF:

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 1. Accountant | Rs. 611 | Rs. 18,330 per month plus free accommodation. | |
| 2. Clerks | Rs. 464 | Rs. 13,920 per month plus free accommodation. | |
| 3. Munshi | Rs. 487 | Rs. 14,610 per month plus free benefits as admissible to clerk. | |
| 4. Peon , Chowkidar/Chaudhary | Rs. 407 | Rs. 12,210 per month plus free benefit as admissible. | |
| 5. Compounder | | Daily Rs. 567 | Monthly Rs. 17010 |
| 6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor) | | Rs. 508 | Rs. 15,240 |
| 7. Mechanic | | Rs. 571 | Rs. 17,130 |
| 8. Assistant Mechanic | | Rs. 506 | Rs. 15180 |
| 9. Electrician-cum-Mechanic Grade-I | | Rs. 571 | Rs. 17,130 |
| 10. Electrician-cum-Mechanic Grade-II | | Rs. 506 | Rs. 15180 |

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.